

14.6.18 पत्रावली न्याय आपके द्वार-2018 में उपरल
 सेवा केन्द्र श्रीरामपुरा घेरा हुई। मजमें आम
 में सुनावणी एवं पत्रावली का अवलोकन
 किया गया तब पुलेरु द्वारा मस्टल रिपोर्ट
 के अनुसार खण्ड 49 खण्ड 21 कोषा 08
 गौ मुठ सिमनन 0 में सिवामक बिनालगाती
 है ही मस्टलमेन्ट खलेनी के अनुसार भी
 खण्ड 49 खण्ड 21 में सिवामक है ही मिसल
 खलेबस्तर में गावी के पिरा गंगापर जागीरदार
 के रूप में है ही उक्त भूत सिवामक है ही
 आ रही है। बाद पत्र कले के आधार पर मस्टल
 किया गया जिसके साबित करने हेतु कोई इस्तलज
 आदि पेश नहीं किये है, कले के आधार पर खलेबस्तर
 आदि नही दिये जाने से बाद बिनाशनी नही होने
 से बाद का बाद खास किये जाने योग्य है, कले
 के आधार पर धारा 15, 19 के तब खलेबस्तर
 आदि नही दिये जा सकने से बाद का बाद
 नकारित किया गया। पत्रावली के माल सुमार
 होकर दर्ज नम्बर से कम हो। आदेश मजमें आम
 में सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
 साँभर ले